पुरावशेषों का पंजीकरण अभियान
"भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण"
संस्कृति मंत्रालय

समस्त भारतीय नागरिकों को जागरूकता हेतु यह सूचित किया जाता है कि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण,संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से पुरावशेषों के पंजीकरण हेतु 15 दिनों के (13–28 सितम्बर 2019) लिए अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान "पुरावशेषों और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 की धारा 14 के तहत चलाया जा रहा है। पुरावशेष के पंजीकरण के इच्छुक व्यक्ति कृपया भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, रायपुर कार्यालय से जानकारी हेतु सम्पर्क कर सकते हैं। पंजीकरण की जाने वाली कलाकृति कम से कम 100 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। पुरावशेषों का पंजीकरण कानूनन जरूरी है। इन पुरावशेषों के चोरी हो जाने के सन्दर्भ में इनका पंजीकृत रिकार्ड एफ.आई.आर. दर्ज कराने में आवश्यक साबित होता है।

सो. 448 (इ) दिनांक 02.07.1976 जो की पुनः स ओ 397 (इ) दिनांक 15.05.1980 को संशोधित किया गया था उसके अनुसार कोई भी वस्तु जो 100 वर्ष पुरानी हो उसका पंजीकरण किया जायेगा। उन पुरावशेषों में निम्नलिखित कलाकृति सम्मिलित है जिनका की रजिस्ट्रेशन होगा–1. पत्थर, टेराकोटा (पकाई हुई मिट्टी), धातु, हांथी दांत या हड्डी से बनी प्रतिमा। 2. कागज, काष्ठ, कपड़े, सिल्क के ऊपर बनी चित्रकारी (मिनिएचर पैंटिंग्स और थंका) 3. पाण्डुलिपि (हस्तलिपि) जिनमें की किसी भी प्रकार की चित्रकारी या चित्रण किया गया हो। 4. काष्ठ में उकेरी गयी प्रतिमा इत्यादि।